मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 9-8/2014/नियम/चार — भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सैन्य परिवार पेंशनधारी को सिविल परिवार पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 01(05)/2010 डी (पेंशन/पॉलिसी) दिनांक 17 जनवरी, 2013 द्वारा सेवा निवृत्ति उपरान्त केन्द्र या राज्य के किसी विभाग/उपक्रम/स्वशासी संस्था/स्थानीय संपरीक्षा संस्था में पुनर्नियुक्त सैन्य कर्मियों/परिवार के सदस्यों को दोहरी परिवार पेंशन भुगतान किये जाने के संबंध में जारी निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :—

1. दिनांक 24 सितम्बर 2012 या उसके पश्चात सेवा निवृत्त तथा मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग/उपक्रम/स्वशासी संस्था/स्थानीय संपरीक्षा संस्था आदि में पुनर्नियुक्त सैन्य कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य को सैन्य परिवार पेंशन के साथ-साथ राज्य शासन में की गई सेवावधि की सिविल परिवार पेंशन पृथक् से भुगतान किये जाने की अनुमति दी जाती है.

2. कंडिका-1 की सुविधा 24 सितम्बर 2012 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के प्रकरणों पर भी लागू होगी, परन्तु उपरोक्तानुसार दोहरी परिवार पेंशन का वास्तविक आर्थिक लाभ 24 सितम्बर 2012 से देय होगा.

3. सैन्य परिवार पेंशन सहित परिवार पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु म. प्र. सिविल सेवायें (पेंशन) नियम-1976 के नियम 47 के उप नियम-15 को विलोपित किये जाने की कार्यवाही पृथक् से की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.